

अपील संख्या :- 2976 / 2023

किशोर कुमार

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग, शासन सचिवालय,  
जयपुर एवं अन्य

—प्रत्यर्थागण

आदेश की दिनांक : 03.09.2024

उपस्थित —अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक  
प्रत्यर्थागण की ओर से : श्री सर्वेश जैन, राजकीय अधिवक्तासमक्ष :- शुचि शर्मा, सदस्य  
लेखराज तोसावड़ा, सदस्यआदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट पीटिशन संख्या 7592 / 2022 में पारित निर्णय दिनांक 23.05.2024 के आधार पर हस्तगत अपील अधिकरण के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण सक्षम न्यायालय के समक्ष नई अपील/याचिका प्रस्तुत करने की छूट के साथ अपील वापस (Withdraw) लेने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थागण को कोई एतराज नहीं है।

अतः निवेदन स्वीकार किया जाता है। सक्षम न्यायालय के समक्ष नया वाद/अपील/याचिका प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान करते हुए अपील (As Withdrawn) अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)  
सदस्य(शुचि शर्मा)  
सदस्य